न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 31/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामकिशोर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम रोल तहसील जायल जिला नागौर।		1 गीतादेवी पत्नी राधाकिशन जाति जाट डिडेल निवासी ग्राम रोल तहसील जायल जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत रोल जरिए सचिव, ग्राम पंचायत रोल तहसील जायल जिला नागौर। 3 सरपंच ग्राम पंचायत रोल, ग्राम पंचायत रोल तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 04.12.2025

1– प्रकरण इस प्रकार है कि निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोल द्वारा पत्रावली संख्या 06/2023, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.03.2024, पट्टा संख्या 6 दिनांक 11.03.2024 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.04.2025 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 09.04.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत रोल के पटटा संख्या 6 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत रोल की पत्रावली संख्या 06/05.12.23 की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 26 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, पंचायत समिति के निर्णय की फोटोप्रति, न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.08.10 व 09.12.15 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया गया।

2– बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)–उक्त प्रकरण में जिस भूमि का पट्टा जारी हुआ है, उक्त भूमि का पटटा पहले से ग्राम पंचायत रोल द्वारा जरिये मिसल संख्या 71 दिनांक 15.10.1968 के द्वारा पट्टा संख्या 26 प्रार्थी के पिता श्री सुरजाराम बेटा रामचन्द्र जाति जाट के हक में जारी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में जब उक्त भूमि का पटटा पहले से प्रार्थी के पिता के नाम से जारी हो रखा है तो ऐसी स्थिति में उसी भूमि का पुनः पटटा जारी करना कतई न्यायोचित नहीं है। इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)– प्रार्थी के पिता श्री सुरजाराम के पटटे को लेकर एक झूठी शिकायत हुई थी, जिस पर ग्राम पचांयत रोल द्वारा दिनांक 27.08.2008 को जांच रिपोर्ट दी एवं तहसीलदार जायल द्वारा दिनांक 15.10.1999 को मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट पेश की। जिसमें प्रार्थी के पिता श्री सुरजाराम के हक में जारी पटटे की भूमि को सही मानते हुए मौके पर इनका कब्जा माना था। ऐसी स्थिति में उक्त पटटा संख्या 26 दिनांक 15.10.1968 जो प्रार्थी के पिता श्री सुरजाराम के नाम से जारी था, को सही माना गया था। इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)– पटटा संख्या 26 को लेकर एक झूठी शिकायत होने पर कार्यालय पंचायत समिति जायल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.10.2009 के द्वारा पटटा संख्या 26 को खारिज कर दिया गया था। जिस पर प्रार्थी के पिता सुरजाराम ने एक पंचायत निगरानी संख्या 45/2009 न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के यहा पेश की जिसमें दिनांक 30.08.2010 को निर्णय करते हुए पंचायत समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2009 के संबंध में पुनः सुनवाई हेतु मामला प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति जायल को भिजवाया था। जहां पर बाद सुनवाई उक्त समिति ने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 26.02.2014 के द्वारा पटटा संख्या 26 को विधिनुसार जारी होना मानते हुए उसकी पुष्टि की परन्तु उस बैठक में विकास अधिकारी ने गलत रूप से दीवानी न्यायालय में लम्बित प्रकरण में पारित अन्तरिम स्थगन आदेश के आधार पर कोई निर्णय करना

04/12/25

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायोचित नहीं मानते हुए डिसेन्ट नोट लगा दिया। जिस पर मेघाराम जाट ने एक पंचायत निगरानी संख्या 19/2014 न्यायालय हाजा के यहॉ पेश की तथा पंचायत समिति जायल के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 26.02.2014 को निरस्त करने का निवेदन किया। इस पर न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 09.12.2015 के द्वारा डिसेन्ट नोट के संबंध में जिला परिषद से विनिश्चय करवाने के आधार पर उक्त निगरानी को निस्तारित कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पिता सुरजाराम के नाम से जारी पटटा संख्या 26 दिनांक 15.10.1968 आज भी अपना पूर्ण विधिक अस्तित्व रखता है। इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)–प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति जायल द्वारा दिनांक 19.03.2012 को मौका निरीक्षण करने के पश्चात मौका रिपोर्ट तैयार की। जिसमें भी पटटा संख्या 26 दिनांक 15.10.1968 को सही मानते हुए मौके पर श्री सुरजाराम का कब्जा माना है। इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(6)–पटटा संख्या 26 की भूमि एक मात्र सुरजाराम के स्वामित्व एवं अधिभोग की पटटासुदा भूमि थी। उनके स्वर्गवास के पश्चात जो वर्तमान में श्री सुरजाराम के विधक उतराधिकारीगण प्रार्थी सहित अन्य विधिक उतराधिकारीगण में निहित करती है। इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(7)–पटटा नम्बर 26 दिनांक 15.10.1968 की भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा बुक संख्या 131 में पटटा संख्या 1, 2, 3, 4, 15, 9, 10, 11, 12, 13 व बुक संख्या 135 में पटटा संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 व 22 जारी किये थे। जिन पटटो को स्वय अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने बैठक दिनांक 20.09.2024 के द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा इन सभी पटटों को खारिज कर दिया गया है। परन्तु हस्तगत पटटा जानबूझकर खारिज नहीं किया है। इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(8)–प्रार्थी द्वारा पटटा जारी करने के लिए जो आवेदन पत्र पेश किया था, वह आवेदन पत्र विधिवत रूप से आवेदन पत्र मय शुल्क मय नक्शा के नियम 145 राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत करना पडता है। हस्तगत प्रकरण मे जो आवेदन पेश हुआ है उस आवेदन पत्र के साथ में न तो नक्शा पेश हुआ है और न ही निर्धारित 25/– रूपये स्थल निरीक्षण शुल्क व न ही 25/– रूपये नक्शा तैयार करवाने के बारे मे कोई शुल्क पेश किया गया है। ऐसे शुल्क पेश नहीं किये जाने की स्थिति में ऐसा आवेदन पत्र विधिवत रूप से पेश आवेदन पत्र की श्रेणी में नहीं आता है इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(9)–कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के अनुसार सचिव ऐसे आवेदन को प्रारूप 21 में एक रजिस्टर में इन्द्राज करेगा और फाइल खोलेगा। हस्तगत प्रकरण में सचिव द्वारा न तो प्रारूप 21 में संधारित रजिस्टर में कोई इन्द्राज किया गया है न ही कोई फाइल खोली गई है। सम्पूर्ण पत्रावली में कहीं पर भी सचिव के किसी भी आदेशिका पर या कहीं पर भी सचिव के कोई हस्ताक्षर नहीं है। इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(10)–उक्त प्रकरण में राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 146 के अनुसार स्थल निरीक्षण बाबत जो बिन्दू दिये गये है उन बिन्दुओ को लेकर किसी भी प्रकार से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है न ही ऐसा कोई निष्कर्ष दिया गया है। इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(11)–राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 148 के अनुसार नोटिस बाबत आपित विज्ञप्ति का एक काम का जारी करना होता है। हस्तगत प्रकरण में जो आक्षेप जारी किये गये है वह आक्षेप विधि अनुसार प्रक्रिया की पालना करते हुए जारी नहीं हुए है इस प्रकार से विधि के उक्त प्रावधान की कोई पालना नहीं की गई है इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(12)–उक्त प्रकरण में संबंधित भूमि की जो राशि वसूल की गई है वह भी पूर्णतया गलत रूप से अपर्याप्त राशि निर्धारित करके सरकारी कोष को भारी नुकसान पंहुचाया गया है तथा जो गणना करने का आधार लिया गया है वह पूर्णतया गलत अनुचित एवं अवैध है। इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(13)–राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 के अनुसार केवल मात्र 300 वर्गगज भूमि का ही पटटा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जा सकता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के हक में 332.95 वर्गगज का पटटा जारी किया गया है जो कि उक्त नियम के विपरित है। वह पूर्णतया गलत अनुचित एवं अवैध है। इसलिए इस आधार पर भी प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

04/12/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(14)—उक्त प्रकरण में जो पत्रावली कायम हुई है उसमें प्रस्ताव संख्या ही खाली पडे है इससे साफ जाहिर है कि ऐसा कोई प्रस्ताव लिया ही नहीं गया है इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(15)—उक्त प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह कार्यवाही राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में वर्णित विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए की गई है जबकि उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं प्रावधान आज्ञापक प्रकृति की है उनकी पालना किये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस आधार पर प्रस्ताव, आदेश एवं जारी पटटा जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

3— पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोल द्वारा पत्रावली संख्या 06/2023, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.03.2024, पट्टा संख्या 6 दिनांक 11.03.2024, को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 145 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 गीता देवी द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है परन्तु आवेदन में न तो दिनांक अंकित है एवं उक्त जायगा पर कितने वर्ष पुराना कब्जा है, का अंकन नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जो आपति बाबत सूचना पत्र जारी किया गया। उस सूचना पत्र की चस्पानगी किन दो मौतबिरान के सामने की गई, इसका कोई उल्लेख आपति सूचना पत्र पर नहीं है। न ही किसी मौतबिरान के हस्ताक्षर है, जिससे ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 148 की पालना नहीं की गई है। हस्तगत प्रकरण में 332.95 वर्गगज क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया है। जबकि राजस्थान पंचायत राज नियमावली के नियम 157 (1) (i) के अनुसार 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्र का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (ख) के अनुसार ग्राम पंचायत की आदेशिका 200/— जमा कर पटटा जारी करने का विनिश्चय किया गया है, परन्तु ऐसी रसीद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राम पंचायत ने उक्त नियम की पालना की हो? उक्त सभी तथ्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा बनाते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रोल द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के हक में जारी मिसल संख्या 06/2023, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.03.2024, पट्टा संख्या 6 दिनांक 11.03.2024, निरस्त किया जाता है।

5— निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/12/24

(चम्पालाल जीनगर)

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर